

फाइल सं. ए.12018/ 20/2019-लेप  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में वरिष्ठ ऑर्थाटिक तकनीशियन, समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में वरिष्ठ ऑर्थाटिक तकनीशियन समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। [baidyanath.prasad@nic.in](mailto:baidyanath.prasad@nic.in)

  
(बैद्यनाथ प्रसाद)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली  
दिनांक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशनार्थ  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, .....2019

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु तमिलनाडु में (वरिष्ठ ऑर्थोटिक तकनीशियन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु तमिलनाडु में वरिष्ठ ऑर्थोटिक तकनीशियन के पद पर भर्ती कि पद्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु तमिलनाडु में वरिष्ठ ऑर्थोटिक तकनीशियन, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।
2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में यै स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
3. भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
4. अनर्हता-कोई व्यक्ति  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या  
(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;
- बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।
5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।
6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

## अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (4)	चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
वरिष्ठ ऑर्थोटिक तकनीशियन	एक पद * (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसंचिवीय  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	स्तर-6 (रु. (35400- 1,12,400) वेतन मैट्रिक्स	गैरचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए 5 वर्ष तक की छूट)  नोट: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि अंतिम तिथि होगी, जिसके तहत रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्धति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में डिग्री।</p> <p>2) भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए या पाठ्यक्रम को संबंधित राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए</p> <p>3) कुष्ठ रोग में ऑर्थोटिक्स और / या प्रोस्थेटिक्स उपकरण बनाने में एक साल का अनुभव।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>1. प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में दो साल (दो साल) का डिप्लोमा और मान्यता प्राप्त संस्थान से छह महीने की इंटर्नशिप प्रशिक्षण।</p> <p>2. भारत के पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए या पाठ्यक्रम को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की चिंता से पहचाना जाना चाहिए।</p> <p>3. मान्यता प्राप्त अस्पताल / संस्थान से ऑर्थोटिक्स और / / प्रोस्थेटिक्स के क्षेत्र में तीन साल का अनुभव।</p> <p><b>नोट:</b> 1. अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं	2 वर्ष सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर प्रतिनियुक्त दोनों के नाकाम होने पर सीधी भर्ती द्वारा

<p>नोट-2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम अधिकारी के विवेक पर अनुभव की योग्यता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p><b>(11)</b> पदोन्नति: ऑर्थोटिक्स तकनीशियन ग्रेड के पे मैट्रिक्स लेवल-4 (₹.25500-81100) में दस साल की नियमित सेवा।</p>	<p>(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p>	<p>(13) लागू नहीं</p>
<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> (क) वेतन मैट्रिक्स लेवल -6 में (₹.35400-112400) नियमित आधार पर किसी भी केंद्रीय सरकारी अस्पताल / संस्थान में अनुरूप पदों को 2 साल के अनुभव तथा कॉलम 7 में वर्णित योग्यता ।  या 6 साल के अनुभव के साथ कॉलम 7 में उल्लिखित योग्यता के साथ पे मैट्रिक्स में लेवल -5 (₹. 29200-92300) में नियमित आधार पर किसी भी केंद्र सरकार के अस्पताल / संस्थान में</p>	<p>1. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग) - अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड वी) - सदस्य 3. उप निदेशक (ओ एंड एम) - सदस्य 4. निदेशक (सीएलटीआरआई) - सदस्य</p>	

आँथोटिक तकनीशियनों / जूनियर  
आँथोटिक्स / प्रोस्थेटिक्स का पद  
पर हों।